

भारतीय जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मान्यता

प्रलिस के लिये:

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और इसके प्रावधान

मेन्स के लिये:

भारतीय जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित मुद्दे, इस दशा में उठाए गए कदम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर कैदियों की गोपनीयता, गरमा सुनिश्चित करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कारागार प्रमुखों को दशा-नरिदेश जारी किये गए हैं।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2020 में देश भर की जेलों में 70 ट्रांसजेंडर कैदी थे।
- यह एडवाइजरी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के आलोक में जारी की गई थी, जो जनवरी 2020 से लागू हुई थी।

प्रमुख बडि

- जेलों का बुनयादी ढाँचा:**
 - नजिता के अधिकार और कैदियों की गरमा को बनाए रखने के लिये ट्रांसमेन और ट्रांस वुमन के लिये अलग-अलग वार्ड और अलग शौचालय एवं शॉवर की सुवधा।
- आत्म-पहचान का सम्मान:**
 - प्रवेश प्रक्रियाओं, चकितिसा परीक्षण, तलाशी, कपडे, पुलसि अनुरकषक की मांग, जेलों के भीतर उपचार और देखभाल के दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आत्म-पहचान का हर समय सम्मान कया जाना चाहयि।
 - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों कानून के तहत ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रया को सुवधाजनक करना।
- जाँच प्रोटोकॉल:**
 - जाँच उनके पसंदीदा लयि के व्यक्तया कसिी प्रशकषति चकितिसा पेशेवर या खोज करने में प्रशकषति एक पैरामेडकि दवारा की जानी चाहयि।
 - तलाशी करने वाले व्यक्तियों को खोजे जा रहे व्यक्तियों की सुरक्षा, गोपनीयता और गरमा सुनिश्चित करनी चाहयि।
- जेल में प्रवेश:**
 - पुरुष और महिला के अलावा अन्य श्रेणी के रूप में "ट्रांसजेंडर" को शामिल करने के लिये जेल प्रवेश रजसिटर को उपयुक्त रूप से संशोधति कया जा सकता है।
 - इसी तरह का प्रावधान कारागार प्रबंधन प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिये कया जा सकता है।
- स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच:**
 - ट्रांसजेंडर कैदियों को लैंगिक पहचान के आधार पर बनिा कसिी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवा का समान अधिकार होना चाहयि।
- बाहरी दुनया के साथ संचार:**
 - उन्हें परवीक्षा, कल्याण या पुनर्वास अधिकारियों दवारा अपने परिवार के सदस्यों, रशितेदारों, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों व देखभाल के बाद की योजना पर बातचीत करने का अवसर दया जाना चाहयि।
- कारागार कार्मकों का प्रशकषण और संवेदीकरण:**
 - यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये लयि पहचान, मानवाधिकार, यौन अभविन्यास और कानूनी ढाँचे की समझ वकिसति करने हेतु कया जाना चाहयि।
 - इसी तरह की जागरूकता का प्रसार अन्य बंदियों में भी कया जाना चाहयि।

ट्रांसजेंडर से संबंधित प्रमुख पहलें

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019:**
 - यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय दिये गए लिंग से मेल नहीं खाता है। इसमें ट्रांसमेन और ट्रांस-वीमेन, इंटरसेक्स भ्रूणता वाले व्यक्ति, लिंग-कवीर व सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे कानिनिनर आदि शामिल हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय**
 - **राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ, 2014:** सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'थर्ड जेंडर' घोषित किया है।
 - **भारतीय दंड संहिता (2018) की धारा 377 के प्रावधानों की समाप्ति:** सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नयिम, 2020:**
 - केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत नयिम बनाए हैं।
 - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये 'राष्ट्रीय पोर्टल' 'ट्रांसजेंडर व्यक्तिये (अधिकारों का संरक्षण) नयिम, 2020' के अनुरूप शुरू किया गया था।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये 'आश्रय गृह योजना':**
 - ज़रूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उनके लिये 'गरमा गृह' नामक आश्रय गृह स्थापित कर रहा है।

जेल अधिनियम और ट्रांसपर्सन

- भारत में कारागार अधिनियम, 1894, कारागारों के प्रशासन को वनियमिति करने वाला केंद्रीय कानून है।
- यह अधिनियम मुख्य रूप से दीवानी कानून के तहत दोषी ठहराए गए कैदियों को आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराए गए कैदियों से अलग करता है।
- दुर्भाग्य से यह अधिनियम यौन अभविन्यास और लिंग पहचान (SOGI) के आधार पर यौन अल्पसंख्यकों को कैदियों के एक अलग वर्ग के रूप में भी मान्यता नहीं देता है।
- यह केवल महिलाओं, युवा अपराधियों, वचाराधीन कैदियों, दोषियों, सबिलि कैदियों, बंदियों और उच्च सुरक्षा वाले कैदियों जैसी श्रेणियों में कैदियों का वर्गीकरण करता है।
- 'राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण' (NALSA) का नरिणय अनुच्छेद-14, 15 और 21 के तहत ट्रांसपर्सन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हुए राज्यों को उनके कानूनी और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों पर नीतियों बनाने का नरिदेश देता है।
- यह ट्रांस कैदियों पर भी लागू होता है, क्योंकि जेल और उनका प्रशासन राज्य का वषिय है।
- भले ही नालसा के फैसले में दिये गए नरिदेश देश के कानून का गठन करते हैं, फरि भी वर्तमान कानूनों में बदलाव लाने की आवश्यकता है।
- हालाँकि जेल अधिनियम, **जेल अधिकारियों को उन प्रक्रियाओं का पालन करने की अनुमत देता है जो सख्ती से लिंग-द्विआधारी हैं।**
- ये प्रक्रियाएँ न केवल कानून की वैधता को चुनौती देती हैं, बल्कि जेलों के अंदर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर एक तरह की यातना और अपमानजनक व्यवहार को भी बढ़ावा देती हैं।
- यह सब **कॉमनवेलथ ह्यूमन राइट्स इनशिएटिवि (CHRI)** द्वारा '**लॉसट आइडेंटिटी: ट्रांसजेंडर पर्सन्स इनसाइड इंडियन प्रजिन्स**' शीर्षक वाली एक रपिोर्ट से प्रमाणित होता है।
- यह रपिोर्ट भारतीय जेलों में बंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालती है।

आगे की राह:

- औपनिवेशिक जेल अधिनियम अप्रचलित हो गया है और यह संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर वफिल है जो कएक बहुलवादी और समावेशी समाज की शुरुआत करता है।
- चूँकि संवैधानिक नैतिकता एक ऐसी चीज़ है जिसे कानून की प्रकृति और लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए वकिसति किया जाना चाहिये, वर्तमान कानूनों में यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के ऐसे प्रगतशील दृष्टिकोण की कमी है।
- यौन अल्पसंख्यकों, वषिय रूप से ट्रांसजेंडर कैदियों के संदर्भ में सुधारों को संबोधित करने के लिये जगुरूकता और दस्तावेज़ीकरण दो महत्त्वपूर्ण उपकरण हैं।
- इस प्रकार CHRI उस प्रक्रिया में एक कदम है जो ट्रांसजेंडर कैदियों के इलाज़ के लिये लिंग आधारित दृष्टिकोण की वकालत करता है।
- CHRI की सफिराशियों को केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर कैदियों की वषिय ज़रूरतों पर एक 'मॉडल पॉलिसी' लाने के लिये ट्रांस समुदाय के सदस्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से नालसा के फैसले के जनादेश का सम्मान करने हेतु वचिरा किया जाना चाहिये।

स्रोत: द हट्टि

